संख्या 11013/10/97-स्था0 (क)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 13th, 1999

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: काम-काजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम- विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय ।

मुझे, इस विभाग के दिनांक 13.02.98 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसे कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए अनुपालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश तथा मानदंड निर्धारित करते हुए विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार तथा अन्य (जे0आई0 1997 (7) एस0सी0 384) मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में जारी किया गया था ।

2. उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक संगठन में इस उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की शिकायतों के निवारण एवं निपटान के लिए एक उपयुक्त शिकायत तंत्र गठित किया जाए । इस विभाग के नोटिस में आया है कि केन्द्रीय सरकार के एक कार्यालय में इस प्रयोजनार्थ गठित एक समिति का अध्यक्ष उच्च श्रेणी लिपिक स्तर के एक कर्मचारी को बनाया गया था । जब समिति का अध्यक्ष स्वयं ही पर्याप्तत: उच्च रैंक का अधिकारी नहीं होगा तो वह स्वतंत्र/निष्पक्ष रूप से अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम नहीं होगा, विशेषतौर पर जबकि अपराध कर्म कर्त्ता व्यक्ति अपेक्षाकृत उच्चतर रैंक का होगा और इस प्रकार ऐसी व्यवस्था उपहास बनकर रह जाएगी । अत: अनुरोध है कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए गठित समिति की अध्यक्षता पर्याप्तत: उच्चतर रैंक के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ताकि जांच-पड़ताल में विश्वसनीयता बनी रहे ।

3. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करें ।

शाश्वती बंदोपाध्याय
(श्रीमती शाश्वती बंदोपाध्याय)
निदेशक

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।